

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

निवासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

दस्तावेज संख्या:- 1134/2021

निर्णय दिनांक :- 26/11/2021

निवासीन प्रार्थना पत्र

उत्केशचन्द्र बनावली बनाम तहसीलदार दुर्गा

उपस्थिति :-

प्राप्त

तहसीलदार दुर्गा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी उत्केशचन्द्र निवासी वैरोडा ने प्रशासन गांवो

के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम 01 रोडा

जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 1069 में दर्ज प्रार्थी का नाम उत्केशचन्द्र

के स्थान पर उत्केशचन्द्र

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार दुर्गा से

कराई गई। तहसीलदार दुर्गा ने पटवार हल्का रामसागर भू0अ0नि0 दुर्गा की

रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार दुर्गा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-

4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार दुर्गा को वाके ग्राम जमाबंदी

सम्वत् 2077 के खाता संख्या 1069 में दर्ज उत्केशचन्द्र

के स्थान पर उत्केशचन्द्र

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार दुर्गा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल करत हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प रामसागर में सुनाया गया।

A. D.
उपखण्ड अधिकारी
देवली